(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री होशियार सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह

किस्म मुकदमा FSSA 2 नं. 38 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/9/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
21.09.2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22.09.2022 को पेश हो।	
22.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि वह बीकाजी ट्रेडिंग कम्पनी के चाण्डक मार्ग पिलानी में फर्म चलाता है जहां वह हॉलसेल में चाय खरीद कर बेचान करता है। उसकी फर्म से लिया गया सेम्पल मिस ब्रान्डेड पाया गया है। उसने सेम्पल ली गई चाय अनावेदक संख्या 2 से जरिये पक्के बिल खरीदी थी जिसका पक्का बिल जबाब के साथ प्रस्तुत है। उसने अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1505/एक्ट/2022/1507 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार चाय (गट्टानी सुप्रिम) मिसब्रान्डेड (Misbranded Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से चाय खरीद का पक्का बिल प्रस्तुत किया है तथा अनावेदक संख्या 2 श्री चिरंजी लाल गट्टानी पुत्र श्री फुलचन्द, वार्ड नम्बर 24 जोगी आश्रम के पास, मोहल्ला लुदी बास राजगढ जिला चुरू स्वयं निर्माता एवं विक्रेता है। अतः प्रकरण में चाय (गट्टानी सुप्रिम) मिसब्रान्डेड (Misbranded Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों [illegible] अनावेदक संख्या 2 श्री चिरंजी लाल गट्टानी पुत्र श्री फुलचन्द, वार्ड नम्बर 24 जोगी आश्रम [illegible] मोहल्ला लुदी बास, राजगढ, जिला चुरू को धारा 26 की उपधारा [illegible] दोषी मानकर [illegible] मैं अनावेदक को 2000/– दो हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने [illegible] सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में [illegible] कर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:27:50 IST
Reason: SelfAttested